Dr Kumari Manju
H.O.D. Eco

Ques: Discuss the Centre-State Financial Relations in India (भारत में केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों की विवेचना कीजिए।)

Ans: भारत में संघीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत यह आवश्यकता थी कि राज्यों को वित्तीय स्वावलम्बन अधिकाधिक प्राप्त हो सके तथा वे आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें। संविधान निर्माताओं ने इस बात पर भी विचार-विमर्श किया था कि केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध मधुर बने रहें, आपस में किसी प्रकार का टकराव न हो, जैसा कि स्वतंत्रता के पूर्व था। इन सब समस्याओं के हल के लिए वित्त आयोग की आवश्यकता महसूस की गई थी। अतः प्रत्येक पाँच वर्ष बाद और आवश्यकता होने पर उसके पूर्व भी राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान था। संविधान निर्माण के बाद आर्थिक नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया जाने लगा तथा आर्थिक नियोजन के कारण राज्यों का उत्तरदायित्व बढ़ गया तथा पुनः राज्यों की निर्भरता केन्द्र के ऊपर बढ़ती गयी और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता में संकीर्ण स्वरूप पैदा हो गया, राज्यों व केन्द्र के बीच संवैधानिक ढाँचा ही हिल गया। इस अप्रत्याशित व्यवस्था के कारण अनेक नयी समस्याओं को जन्म मिला। इस सन्दर्भ में के० संथानम का मत है कि "नियोजन ने संघ को पदच्युत कर दिया है तथा हमारा देश कई ढंग से एकात्मक राज्य की भाँति कार्य कर रहा है।"

भारत के संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के बीच जिन वित्तीय सम्बन्धों की व्यवस्था की गई है उनमें यही बात मुख्य थी कि राज्यों को केन्द्र का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। परन्तु अब आर्थिक नियोजन के बाद यह देखने में आ रहा है कि राज्य योजना आयोग के अधीन हो गए हैं। आयोग ही इस समय केन्द्र तथा राज्यों के विकास की योजनाओं को बनाता है तथा साधनों का आवंटन करता है। आयोग पर राजनीतिक प्रभाव होने के कारण प्रत्येक राज्य के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है, जबकि आयोग निष्पक्ष रहना चाहता है फिर भी वह राजनीतिक प्रभाव से बच नहीं पाता है।

प्रायः कुछ लोगों का यह भी कहना है कि—

Scanned with CamScanner

संघ व राज्यों के बीच वित्तीय असंतुलन अथवा असंतुलन को कम करने के लिए योजना अनुदान आवश्यक हैं। संविधान की धारा 282 के अनुसार योजना अनुदान को लागू किया गया है जिसमें अनुदान देने या आर्थिक संकट के समय राज्य को सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। राज्यों की बाहरी समस्याओं के हल के लिए संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत भी केंद्र से राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था है, ताकि राज्यों में समान आर्थिक विकास हो सके। सन् 1951-52 से नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया से राज्यों को मिलने वाली संघ-सहायता के स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा तथा योजना विकास आयोग का अब महत्वपूर्ण स्थान हो गया तथा योजनागत अनुदान के नए स्वरूप में इसकी भूमिका बढ़ गई।

योजना अनुदान की विशेषताएँ - योजना अनुदान की निम्न लिखित विशेषताएँ हैं:

(i) ये अनुदान योजना आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं;
(ii) राज्यों को अनुदान के बराबर राशि स्वयं जुटानी होती है;
(iii) अनुदानों का क्षेत्र व आकार जो, इनके लिए केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालय पर निर्भरता भी रहती है;
(iv) ये अनुदान केवल योजना अवधि के लिए होते हैं; तथा
(v) योजना अनुदान के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाए गए हैं।

Scanned with CamScanner

x. स्वतंत्रता के पूर्व केन्द्र एवं प्रान्तों के बीच वित्तीय सम्बन्ध अस्पष्ट नीति की स्थिति के कारण हमेशा विवाद होते रहते थे। केन्द्र की यह शिकायत थी कि प्रान्त अपनी दशा के पात्र हैं। दूसरी ओर प्रान्त यह शिकायत था कि केन्द्र उनका शोषण करता है। स्वतंत्रता के बाद देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गईं। इससे केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय साधनों का महत्व और बढ़ गया। संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्रोतों का विभाजन किया गया है। सातवीं अनुसूची के प्रथम list में उन करों को दिया गया है जो पूर्णतः केन्द्र के द्वारा लगाए जाते हैं, इन्हें Union Tax (संघीय कर) कहा जाता है। दूसरी list में उन करों का वर्णन है जो पूर्णतया राज्यों के अधिकार में आते हैं। इन्हें State tax कहा जाता है।

1935 के अधिनियम के आधार पर ही नवीन संविधान में संघीय वित्त आयोग की स्थापना की गई। यहाँ आवश्यकता है वित्तीय साधनों का विभाजन करने का अधिकार वित्त आयोग को सौंपा गया तथा संविधान के आधार पर साधनों के विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई। संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्धान्त कार्यकुशलता, पर्याप्तता और उपयुक्तता हैं। परन्तु इन तीनों उद्देश्यों की एक साथ प्राप्ति असंभव है। इसलिए भारतीय संविधान में समझौतावादी नीति अपनाई गई है जिसके अनुसार इन विषयों को भागों में विभाजित किया गया है।

(1) संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण तथा
(2) सहायक अनुदानों का वितरण।

Scanned with CamScanner